A17
7

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतार सिंह पूनियॉ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 32/16

1. नत्थुराम पुत्र श्री हेमराज पुत्र श्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी हुनतपुरा तह0 पदमपुर।
2. सुल्तान पुत्र श्री हेमराज पुत्र श्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी हुनतपुरा तह0 पदमपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. उप तहसीलदार, बींझबायला, तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, जीवनदेसर तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सचिव, ग्राम पंचायत, जीवनदेसर तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. **कालूराम पुत्र पुरखाराम जाति कुम्हार निवासी 43 एलएन पी (मृतक) के वारिसान**

4.1 दुलीचन्द पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी रोजड़ी तह0 खाजूवाला जिला बीकानेर

4.2 जगदीश पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी पतरोड़ा तह0 अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।

4.3 बादूदेवी पुत्री पुत्र कालूराम पत्नी मुखराम जाति कुम्हार निवासी खाल तह0 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

4.4 टीनी पुत्री कालूराम पत्नी देवेन्द्र जाति कुम्हार निवासी अबोहर तह0 जिला फाजिल्का

4.5 पप्पू पुत्र श्योकरण पुत्र कालूराम जाति कुम्हार निवासी बीरवाना तह0 सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।

5. **मुन्शी राम पुत्र पुरखाराम जाति कुम्हार (मृतक) के वारिसान**

5.1 मनफूल पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार निवासी हनुतपुरा तह0 पदमपुर।

5.2 गोपीराम पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार निवासी हनुतपुरा तह0 पदमपुर।

5.3 मोहनलाल पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार निवासी हनुतपुरा तह0 पदमपुर।

5.4 गुड्डी देवी पुत्री मुन्शीराम पत्नी ताराचन्द जाति कुम्हार निवासी 8 एचएच तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

5.5 चन्दोदेवी पुत्री मुन्शीराम पत्नी ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी आलमगढ तह0 अबोहर जिला फाजिल्का

5.6 इन्द्रादेवी पुत्री मुंशीराम पत्नी प्रेमकुमार जाति कुम्हार निवासी चावलावाली तह0 व जिला फाजिल्का।

रेस्पोडेन्टस

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AN
2/

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 11 दिनांक 13.09.73 एवं रेस्पो0 सं0 1 द्वारा अनुसूचित जाति की भूमि को स्वर्ण जाति के सदस्य द्वारा अपने नाम ट्रासंफर करवा कर बेचान करने के बैयनामा को विधि विरूद्व पंजीयन किया गया एवं धारा 42 के उल्लघंन में हुए स्वर्ण जाति के पक्ष में विरासतन इंतकाल सं0 607 दिनांक 5.5.15 को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित : श्री कुलवन्तसिंह संधू, अधिवक्ता, अपीलाथीगण
श्री जीतपाल सैनी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 5/2 से5/6
राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 1 स्टेट की ओर से
रेस्पो0 सं0 2 व 3 एवं 5/1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही.

दिनांक : 6-4-17

आदेश

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2035 के खाता सं0 31 के मु0 नं0 37 के कि0 नं0 1 से 13 की 12.10 बीघा व मु0 नं0 17 के कि0 नं0 1,10 से 12, 19 से 22 की 6.10 बीघा कुल 19.00 बीघा कृषि भूमि अपीलार्थीगण के दादा धन्नाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल के नाम खातेदारी दर्ज है। अपीलाधीन भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की है इसलिए इसका अन्तरण स्वर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में नहीं हो सकता है। रेस्पो0 सं0 4 व 5 कालूराम व मुन्शी राम पिसरान पुरखाराम जाति कुम्हार ने अपीलार्थी के दादा धन्नाराम के नाम से मु0 नं0 37 की भूमि का कूटरचित बैयनामा बना कर अपने प्रभाव से इंतकाल सं0 66 दिनांक 26.4.65 को दर्ज करवाया है परन्तु गिरदावर द्वारा उक्त इंतकाल अस्वीकृत कर दिया तो इन लोगों ने इसी बैयनामा पर इंतकाल सं0 11 दिनांक 13.09.73 को अपने नाम से करवा लिया जबकि अनुसूचित जाति की भूमि का अन्तरण स्वर्ण जाति के पक्ष में नहीं हो सकता है। इसी दौरान केतागण कालूराम, मुन्शीराम ने भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, जिसमें धारा 212 आर टी ए में उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर द्वारा दिनांक 20.1.16 के निर्णय द्वारा उक्त बैयनामा एवं इंतकाल सं0 11 को अवैध घोषित कर दिया गया। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा कालूराम पुत्र पुरखाराम कुम्हार का मु0 नं0 37 की 6.05 बीघा भूमि का बैयनामा रघुवीरसिंह, खेतपाल, जगदीश, रावताराम पिसरान रामकरण जाति जाट के पक्ष में दिनांक 7-6-1969 को पंजीयन किया और अब रेस्पो0 सं0 5/2 से 5/6 द्वारा निष्पादित बैयनामा दिनांक 31.3.16 को पंजीयन कर दिया। अपीलाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण का शुरू से कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थीगण की अन्य बहनों द्वारा रजिस्टर्ड दस्तबदारी से भूमि में अपना विरासतन हक अपीलार्थीगण के पक्ष में छोड़ा हुआ है, जिसका इन्द्राज जमाबंदी में अंकित है। इस प्रकार निवेदन किया है कि तहसील

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AM
3

पदमपुर के चक 43 एलएनपी के मु0 नं0 17 व 37 की 5.009 है0 भूमि जो अपीलार्थीगण के दादा धन्नाराम अनूसूचित जाति के सदस्य के नाम से आवंटित खातेदारी थी, जिसका इंतकाल सं0 11 दिनांक 13.9.73 को रेस्पोडेन्टस स्वर्ण जाति के पक्ष में किया गया है, को निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 सं0 1 द्वारा जो अनुसूचित जाति की भूमि का स्वर्ण जाति के सदस्य द्वारा कराये गये बैयनामा को पंजीयन किया गया है, उक्त दोनों बैयनामे दिनांक 7–6–69 एवं 31.03.16 अवैध हैं व इंतकाल सं0 607 दिनांक 5–5–15 को निरस्त किया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2035 के खाता सं0 31 के मु0 नं0 37 के कि0 नं0 1 से 13 की 12.10 बीघा व मु0 नं0 17 के कि0 नं0 1,10 से 12, 19 से 22 की 6.10 बीघा कुल 19.00 बीघा कृषि भूमि अपीलार्थीगण के दादा धन्नाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। अपीलाधीन भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की है इसलिए इसका अन्तरण स्वर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में नहीं हो सकता है। रेस्पो0 सं0 4 व 5 कालूराम व मुन्शी राम कुम्हार ने अपीलार्थी के दादा धन्नाराम के नाम से मु0 नं0 37 की भूमि का कूटरचित बैयनामा बना कर अपने प्रभाव से इंतकाल सं0 66 दिनांक 26.4.65 को दर्ज करवाया है परन्तु गिरदावर द्वारा उक्त इंतकाल अस्वीकृत कर दिया तो इन लोगों ने इसी बैयनामा पर इंतकाल सं0 11 दिनांक 13.09.73 को अपने नाम से करवा लिया । इसी दौरान केतागण कालूराम, मुन्शीराम ने भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, जिसमें धारा 212 आर टी ए में **उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर द्वारा दिनांक 20.1.16 के निर्णय द्वारा उक्त बैयनामा एवं इंतकाल सं0 11 को अवैध घोषित कर दिया गया।** रेस्पो0 सं0 1 द्वारा कालूराम पुत्र पुरखाराम कुम्हार का मु0 नं0 37 की 6.05 बीघा भूमि का बैयनामा रघुवीरसिंह, खेतपाल, जगदीश, रावताराम पिसरान रामकरण जाति जाट के पक्ष में दिनांक 7–6–1969 को पंजीयन किया और अब रेस्पो0 सं0 5/2 से 5/6 द्वारा निष्पादित बैयनामा दिनांक 31.3.16 को पंजीयन कर दिया। अपीलाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण का शुरू से कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थीगण की अन्य बहनों द्वारा रजिस्टर्ड दस्तबदारी से भूमि में अपना विरासतन हक अपीलार्थीगण के पक्ष में छोड़ा हुआ है, जिसका इन्द्राज जमाबंदी में अंकित है। इस प्रकार निवेदन किया है इंतकाल सं0 11 दिनांक 13.9.73 एवं इंतकाल सं0607 दिनांक 5–5–15 को निरस्त किया जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AM
4

अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे (21) 2014 पेज 740 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है तथा रेकार्ड देखकर प्रकरण का निर्णय कर दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलार्थीगण द्वारा इंतकाल सं0 11 दिनांक 13.9.73 एवं इंतकाल सं0 607 दिनांक 5–5–15 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि रेस्पो0 सं0 1 उप तहसीलदार, बींझबायला द्वारा स्टेट के पक्ष में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलाधीन भूमि 19 बीघा अपीलार्थी के दादा धन्नाराम के नाम से सम्वत् 2026 से 2035 तक अंकित है तथा अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि का अन्तरण स्वर्ण जाति के पक्ष में नहीं हो सकता। रेस्पो0 सं0 4 व 5 ने अपीलार्थी के दादा धन्नाराम से जरिये बैयनामा दिनांक 12.4.61 से मु0 नं0 37 की 12.10 बीघा भूमि खरीद की थी, जिसका राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरणकरण सं0 11 दिनांक 13.9.73 को अंकन हुआ है। रेस्पो. सं0 5 का देहान्त होने के बाद ना0सं0 607 दिनांक 5.5.15 को रेस्पो0 सं0 5 के वारिसान के नाम रेस्पो0 सं0 2 व 3 द्वारा स्वीकार किया गया है। इंतकाल सं0 11 द्वारा रेस्पो0 सं0 4 व 5 के नाम का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में हो चुका था तथा दिनांक 31.3.16 को बैयनामे के साथ प्रस्तुत जमाबंदी में अप्रार्थी सं0 5 के वारिसान का नाम जरिये इं0 सं0 607 दिनांक 5.5.15 द्वारा अंकित होने के कारण नियमानुसार बैयनामें को पंजीबद्व होने से मना नहीं किया जा सकता था। मु0 नं0 37 की 12.10 बीघा भूमि धन्नाराम द्वारा रेस्पो0 सं0 4 व 5 को जरिये बैयनामा दिनांक 12.04.61 को बेचान की गई है। उक्त बैयनामे अनुसार ना0सं0 11 दिनांक 13.9.73 को अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा स्वीकार किया गया। रेस्पो सं0 2 सरपंच, ग्राम पंचायत, जीवनदेसर व रेस्पो0 3 सचिव, ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा ना0सं0 11 को नियमो के विरूद्व स्वीकार करने पर अप्रार्थी सं0 4 व 5 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया, जिसके परिणामस्वरूप, रेस्पो0 5 के देहान्त के बाद रेस्पो0 सं0 5 के वारिसान के नाम का इन्द्राज ना0सं0 607 दिनांक 5–5–15 को रेस्पो0 सं0 2 व 3 द्वारा स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ। रेस्पो0 सं0 5 के वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन होने पर उनके द्वारा दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

31.3.16 को अपने हिस्से की भूमि का बैयनामा श्रीमती विमला पत्नी श्री रतन लाल जाति मेघवाल साकिन बींझवायला अनुसूचित जाति के सदस्य के पक्ष में करवाया गया। **इं0 सं0 11 को रेस्पो0 सं0 2 व 3 द्वारा नियम विरूद्व स्वीकार किये जाने की जानकारी रेस्पो0 सं0 1 को होने पर बिना किसी विलम्ब के पत्र कमांक 162 दिनांक 11.04.16 से तहसीलदार, पदमपुर को अपील करने हेतु लिखा गया।**

रेस्पो0 सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के दादा धन्नाराम द्वारा मु0 नं0 37 की 12.10 बीघा भूमि का प्रतिफल प्राप्त कर, रेस्पो0 सं0 4 व 5 के पक्ष में दिनांक 12.04.1961 को बैयनामा पंजीबद्व करवाया गया है, जिस कारण से उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कोई हक नहीं बनता है। इसी प्रकार, रेस्पो0 सं0 4 व 5 द्वारा नियमविरूद्व भूमि का कय किया गया है, जिस कारण से अप्रार्थी सं0 4 व 5 तथा इनके वारिसान का भी इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं बनता है। ना0 सं0 11 को निरस्त किया जाना व मु0 नं0 37 की 12.10 बीघा भूमि को रकबा राज घोषित किया जाना उचित बताया है। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा किया गया बैयनामा अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति के पक्ष में न होकर, स्वर्ण जाति से अनुसूचित जाति के पक्ष में किया गया है।

रेस्पो0 सं0 1 उप तहसीलदार, बींझवायला ने अपने पत्र कमांक 162 दिनांक 11.04.16 जो तहसीलदार, पदमपुर को लिख कर निवेदन किया है कि धन्नाराम मेघवंशी सा0 43 एलएनपी ने अपनी चक 43 एलएनपी के मु0 नं0 17 व 37 की 19.16 बीघा नहरी भूमि में से दिनांक 12.04.61 को मु0 नं. 0 37 की 12.10 बीघा भूमि स्वर्ण जाति के श्री कालूराम, मुन्शीराम पिसरान पुरखाराम जाति कुम्हार साकिन 43 एलएनपी को बेचान कर दिया, जिसका दिनांक 19.9.73 को राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज किये जाने से वर्तमान में भी चला आ रहा है, जिसका नाजायज लाभ उठा कर रकबा बेचान किया जा रहा है। बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन है। अतः धारा 175 आर टी एक्ट का वाद दायर कर भूमि को रकबा राज घोषित करवाया जावे तथा भूमि को रिसीवर किया जाकर काश्त व्यवस्था के आदेश प्रदान किये जावे।

अपीलकृत इंतकाल सं0 11 धन्नाराम **अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा** पंजीकृत बैयनामा के आधार पर कालूराम रेस्पो0 सं0 4 व मुन्शीराम रेस्पो0 5 पिसरान पुरखाराम जाति कुम्हार **स्वर्ण जाति के व्यक्तियों** को मु0 नं0 37 की 12.10 बीघा भूमि का विकय करने के फलस्वरूप नामांतरणकरण सरपंच, ग्राम पंचायत, जीवनदेसर रेस्पो0 सं0 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर पारित किया गया है, विकय धारा 42 के प्रावधानों की उल्लघंना में है तथा विकय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A17
6

बैयनामा के आधार पर इंतकाल सं0 11 दिनांक 13–9–73 सरपंच ग्राम पंचायत, जीवनदेसर द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। इंतकाल सं0 11 से पूर्व इंतकाल सं0 66 इसी बैयनामा के आधार पर खोला गया था, जिसपर भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26–4–65 के अनुसार टिनेन्सी एक्ट के अनुसार इंतकाल दर्ज नहीं होना चाहिये इसलिए पंचायत से खारिज करवाया जावे, का नोट अंकित है। दिनांक 9–5–65 को ग्राम पंचायत, जीवनदेसर द्वारा इंतकाल भूमि खरीददारान के नाम मंजूर कर लिया गया तथा इंतकाल पर नोट अंकित किया गया कि आर आई ने जो नोट दिया है, वह कौनसी धारा के तहत किया गया है, धारा बताई जावे। धारा बताई जाने पर खारिज किया जावेगा। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में रेस्पो0 सं0 4 व 5 के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दायर किया था, जो प्रकरण सं0 153/03 में दिनांक 20–1–06 को खारिज किया जा चुका है। उक्त अपीलाधीन भूमि का बेचान रेस्पो0 सं0 4 व 5 द्वारा दिनांक 7–6–79 को रूघाराम, खेतपाल, रावताराम, जुगलाल पिसरान श्री रामकरण जाति जाट निवासी हुणतपुरा तहसील पदमपुर को रजिस्टर्ड बैयनामा से विक्रय कर दी गई। **उक्त हस्तान्तरण स्वर्ण जाति से स्वर्ण जाति के मध्य हुआ है,** जिसका पंजीयन उप पंजीयक, पदमपुर द्वारा दिनांक 7–6–69 को किया गया है। उक्त बैयनामा के पश्चात् गोपीराम, मोहन लाल पिसरान मुन्शी राम, गुड्डी देवी, चन्दोदेवी, इन्द्रादेवी पुत्रियों मुन्शी राम जाति कुम्हार यानि रेस्पो0 4 के वारिसान द्वारा चक 43 एलएनपी जमावंदी सम्वत् 2070–73 खाता सं0 156 मु0 नं0 17,37 में 1.044 है0 का बेचान श्रीमति बिमला पत्नी श्री रतन लाल जाति मेघवाल निवासी बींझवायला को चार लाख रूपये में रजिस्टर्ड बैयनामा से विक्रय कर दिया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक, बीझवायला द्वारा किया गया है । **उक्त बेचान स्वर्ण जाति से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया है।** इस बेचान के आधार पर इंतकाल सं0 659 दिनांक 31–3–16 को पटवारी हल्का द्वारा खोला गया है, जिसे ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 9–4–16 के अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा स्वीकृत किया गया है। इंतकाल सं0 607 दिनांक 5–5–15 की प्रमाणित प्रति जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र कमांक 877 दिनांक 14–3–17 से उपलब्ध कराई गई है, उक्त इंतकाल भी ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा प्रस्ताव सं0 5 दिनांक 5–5–15 के अनुसार स्वीकृत किया गया है।

हस्तगत अपील के माध्यम से इंतकाल सं0 11 दिनांक 13–9–73 एवं 607 दिनांक 5–5–15 सरपंच, ग्राम पंचायत, जीवनदेसर द्वारा पारित किया गया है, को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है। चूँकि उक्त इंतकाल

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

AM
7

ग्राम पंचयात, जीवनदेसर द्वारा पारित किये गये हैं। यही नहीं इंतकाल सं0 659 दिनांक 9–4–16 भी सरपंच, ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा पारित किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल पर अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांटस सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र हैं। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 6-4-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/4/17

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner